

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई) (एल-294/1988)/अलेसे-III/10714-719

दिनांक :- 24-9-15.

कार्यालय आदेश

सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर ने उनके पत्र क्रमांक न्यास/स्थापना/2015-16/10965 दिनांक 21.09.2015 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय में पदस्थापित कनिष्ठ लेखाकार श्री लालचन्द सोनी, को 60,000/रुपये की रिश्त लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने दिनांक 18.09.2015 को ट्रेप कर लिया है जो कि अभी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण उक्त श्री लालचन्द सोनी, कनिष्ठ लेखाकार को दिनांक 18.09.2015 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री सोनी का मुख्यालय कोषालय, जैसलमेर किया जाता है। श्री सोनी को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।



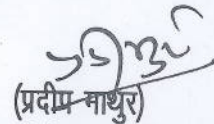
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई) (एल-294/1988)/अलेसे-III/10714-719

दिनांक :- 24-9-15.

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, बीकानेर ।
2. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर ।
3. कोषाधिकारी, बीकानेर/जैसलमेर ।
4. श्री लालचन्द सोनी, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर ।
5. वरिष्ठ निजी सहायक-निदेशक महोदय ।
6. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने / पी.आई.एस इन्द्राज हेतु । लि.नं. 4170.
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जमच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(प्रदीप माथुर)

संयुक्त निदेशक(कार्मिक-III)